मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग-दो

क्रमांक – 43

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026 (अषाढ़ – 26, 1948)
सत्रकाल में विधान सभा परिसर की सुरक्षा/प्रवेश-पत्र/पार्किंग व्यवस्था

माननीय सदस्यों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मा.सदस्यों के वाहन हेतु एक वर्ष के लिये वाहन पार्किंग पास जारी किया गया है। परिसर/दीर्घाओं के प्रवेश-पत्र सीमित मात्रा में जारी किये जा सकेंगे। मान. सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने एक निज सहायक तथा वाहन चालक का नाम, प्रवेश-पत्र कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

आगामी सत्र के लिये मान.सदस्यों की अनुशंसा पर पूर्वानुसार दर्शक दीर्घा में सीमित व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकेगा तथा विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिये दो व्यक्तियों को परिसर प्रवेश-पत्र प्रदाय किया जावेगा। दर्शक दीर्घा में एक घण्टे के लिये प्रवेश की अनुमति होगी जिसे अलग-अलग घण्टों में मान.सदस्य की सुविधानुसार दिया जा सकेगा ।

सत्र के दौरान विधान सभा भवन में किसी गैर अथवा बिना प्रवेश-पत्रधारी व्यक्ति को अपने साथ वाहन में बैठाकर अथवा पैदल विधान सभा परिसर एवं सदन की लॉबी में प्रवेश न करायें ।

समस्त मान. मंत्रीगणों एवं मान. सदस्यों की ड्यूटी में तैनात अंगरक्षकों का प्रवेश परिसर स्थित पार्किंग स्थल द्वार क्र. 03 के पास तक रहेगा तथा पूर्व की भांति भवन में अंगरक्षकों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। साथ ही माननीय विधायकों के वैध प्रवेश-पत्र धारक सहायकों के लिए बैठने एवं प्रतीक्षा करने की व्यवस्था द्वार क्र. 01 के समीप (बाह्य भाग में) स्थित नवनिर्मित स्थाई शेड तथा द्वार क्र. 03 के समीप अस्थाई रूप से निर्मित शेड में की गई है। सहायकगण उपर्युक्त दोनों में से किसी भी स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा कर सकते हैं।

मान. सदस्यगणों से अपेक्षा है कि कृपया इस परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार एवं सुरक्षा संबंधी नियमों के अनुकूल सत्र एवं व्यवस्थाओं के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा